[17/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 5228]

परिशिष्ट - अ

कार्यालय पुलिस थाना नईगढी जिला रीवा (म.प्र.)

क्र./था.प्र./नईगढ़ी/रीवा/शिका.क्र./5 ७ /20 दिनांकः- 31 10 20201

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला रीवा (म.प्र.)।

विषयः- आवेदिका ऊषा वर्मा वार्डन बालिका छात्रावास जुड़मनिया वि0ख0 नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन के सम्बन्ध मे।

संदर्भः- क्र./शिका./पु.अ./5379/19 दिनाँक 16.09.19 के पालन मे।

महोदय,

निवेदन है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जाँच मौके से की जाकर आवेदिका से पूंछताछ कर कथन लेख किए गए जिसके द्वारा अपने कथन मे बताया गया कि दिनाँक 24.07.2016 को बालिका छात्रावास जुड़मनिया रघुनाथ के वार्डन के प्रभार मे थी दिनांक 10.09.2019 को वृत्त प्रभारी पुष्पराज सिंह पटेल जाँच हेतु छात्रावास पुष्पराज सिंह पटेल जाँच हेतु छात्रावास जुड़मनिया आए जाँच के दौरान इससे पैसे की माँग किए तथा पैसा नहीं देने पर इसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज किए तथा रीवा बुलाए एवं इसके रीवा न जाने पर एवं न ही पैसा देने पर इससे नाराज होकर इसे निलंबित करवा दिए बताई।

शिकायत की जाँच हेतु कन्या छात्रावास जुड़मनिया रघुनाथ पहुँचकर प्रकरण की वास्तविक स्थिति जानने हेतु प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्राप्त की गई, प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि एपीसी वित्त एवं एपीसी जेण्डर श्री पुष्पराज सिंह पटेल द्वारा बालिका छात्रावास बालिका छात्रावास जुड़मनिया (नईगढ़ी) का निरीक्षण दिनाँक 06.09.2019 को तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका छात्रावास दुबगवाँ (मऊगंज) का निरीक्षण दिनाँक 11.09.2019 को किया गया था, निरीक्षण के दौरान दोनो ही छात्रावासों मे अनियमितताएँ पाई गई थी, एवं उक्त छात्रावासों मे एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों का भण्डारण किया जाना पाया गया था। एवं शासन द्वारा निर्देशित मूलभूत सुविधाएँ भी सुलभ होना नहीं पाई गई थी, दोनो ही वार्डनो द्वारा छात्राओं को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के मेनू अनुसार नास्ता, भोजन, फल आदि नहीं दिया जाना, तथा अँशकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती भी नहीं किया जाना पाया गया था। उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं सम्बन्धी जाँच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला परियोजना संचालक जिला पँचायत रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

शिकायत के सम्बन्ध मे उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 01.श्रीमती ऊषा वर्मा वार्डन छात्रावास जुड़मनिया रघुनाथ थाना नईगढ़ी एवं 02. श्रीमती सुनीता द्विवेदी (वार्डन कस्तूरबागाँधी बालिका छात्रावास दुबगवाँ) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला परियोजना संचालक जि.पं. रीवा (म.प्र.) द्वारा आदेश क्र. जि.शि.के./वित्त/2019/1096 दिनाँक 23.09.2019 के पालन मे निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय जाँच स्थापित की गई थी।

शिकायत की सम्पूर्ण जाँच से पाया गया है, विषयाँकित आवेदिका श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा कन्या छात्रावास जुड़मनिया रघुनाथ मे वार्डन रहते हुए वित्तीय अनियमितताएँ की गई थी, जिसकी जाँच एपीसी वित्त एवं एपीसी जेण्डर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा की गई। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे पूर्व मे भी कई बार 30,000 रुपए प्रतिमाह की माँग किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा पूर्व मे कहीं भी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ आवेदिका द्वारा लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध मे भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र मौखिक रूप से आरोप जाहिर किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा उपरोक्त जाँच उपरान्त इसके विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने का दबाव बनाने तथा विभागीय कार्यवाही से बचाव हेतु छेड़छाड़ एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का झूठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जाँच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नः- 01. शिकायत आवेदन की छायाप्रति।

02. कथन 01 प्रति।

03. दोनो वार्डनो के विरुद्ध जारी आदेश एवं आरोपपत्रों की छायाप्रति 11 प्रति।

31.10.21
थाना प्रभारी
थाना नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)
जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट -ब

कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)

आदेश

रीवा, दिनांक 04-11-2

क्रमांक 304 /6-विकास/वि.जॉ./2020 : श्री इन्द्रजीत एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जॉच संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से कराई गई। जॉच प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2020 अनुसार श्री पुष्पराज सिंह, सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) जिला रीवा द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार वित्तीय अभिलेखो के निरीक्षण का दायित्व सौपा गया था, किन्तु उनके द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओ के संबंध में बालक छात्रावास जुड़मनिया, वि0ख0 नईगढ़ी जिला रीवा में निरीक्षण किया गया। श्री सिंह का जॉच करने का दृष्टिकोण सही नही था, जो संदेह पैदा करता है, जिसकी परिणति शिकायत के रूप में दृष्टिगोचर हुई। श्री सिंह यह कृत्य सौपे गये सौपे गये पदीय दायित्व, शासकीय आदेश/निर्देश के अनुकूल न होकर प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचरण के श्रेणी में आता है जिसके लिए वें दोषी है। इस प्रकार श्री सिंह का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के अनुरूप न होकर आपेक्षित संनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के प्रतिकूल स्वेच्छाचारितापूर्वक आचरण कर कदाचरण किया गया है, कार्यालयीन पत्र क्र0 3921, दिनांक 21.10.2020 द्वारा श्री सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका उत्तर चाहा गया।

2/- श्री सिंह द्वारा दिनांक 03.11.2020 को कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख किया गया है कि जॉचदल द्वारा प्रतिवेदन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओ के संबंध में किये गये निरीक्षण को उनके जॉब चार्ट अनुसार न मानते हुए उनके दृष्टिकोण को अनुचित प्रतिवेदित किया गया है। इसके संबंध में श्री सिंह द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक 4887 दिनांक 23.06.2015 की प्रति संलग्न कर लेख किया है कि कस्तूरवा गॉधी वालिका विद्यालय संचालन के निर्देश विवरणिका के पृष्ठ क्रमांक 23 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि स्टोर का वार्षिक सत्यापन सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार जॉचदल का प्रतिवेदन निराधार एवं साजिश पूर्ण था, उनके विरूद्ध की गई शिकायत भी जॉचदल ने प्रमाणित नही पाया है। इसी के

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

साथ स्वयं को निर्दोष बताते हुए उत्तर मान्य कर प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/- श्री सिंह को जारी कारण बताओ नोटिस, उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 03.11.2020 एवं नस्ती के साथ संलग्न अभिलेखों का समग्र अवलोकन किया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक 4887 दिनांक 23.06.2015 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन के निर्देश विवरणिका के पृष्ठ क्रमांक 23 में निर्देशित किया गया है कि स्टोर का वार्षिक सत्यापन सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त द्वारा किया जायेगा, श्री सिंह द्वारा छात्रावास निरीक्षण में अपने निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व के अनुरूप ही कार्यवाही की गई है, इस प्रकार श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर समाधानकारक प्रतीत होता है। अतः श्री पुष्पराज सिंह, सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) जिला रीवा को भविष्य में सतर्क होकर कार्य करने की चेतावनी देते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(राजेश कुमार जैन)
कमिश्नर
रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/6-विकास/वि0जॉ0/2020/4172 रीवा, दिनांक 4/11/2020
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला-रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-रीवा।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा संभाग रीवा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा।
7. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र रीवा।
8. श्री पुष्पराज सिंह, सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) जिला रीवा।

कमिश्नर
रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner